निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 769) पटना, शुक्रवार, 19 सितम्बर 2014

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

19 सितम्बर 2014

सं0 एल0जी0-1-11/2014/लेज: 106 ।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 सितम्बर, 2014 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार वित्त अधिनियम, 2014
[बिहार अधिनियम 15, 2014]

प्रस्तावना– बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।—(1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-5 में संशोधन ।—उक्त अधिनियम 1994 की धारा-5 की उप-धारा (7) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा :-

"परन्तु यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, या मैक्सी कैब महिला के नाम पर व्यवसायिक वाहन के रूप में निबंधित है एवं उनकी स्वयं की व्यवसायिक अनुज्ञप्ति नहीं होने के कारण टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाया है, और पूरे कर का भुगतान कर दिया है, वैसी स्थिति में, उक्त महिला को समुचित वैध व्यवसायिक ड्राईविंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेने के बाद इस आशय की अनुज्ञप्ति एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 भाग-'ख' के अधीन विनिर्दिष्ट दर से पथकर की वापसी का हक होगा ।"

3. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन ।—उक्त अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (8) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-

"(8) ट्रैक्टर के वैट रहित क्रय मूल्य का 4.5% (साढ़े चार प्रतिशत) एक मुश्त आजीवन पथकर देय होगा;

परन्तु यह कि ट्रैक्टर के ट्रेलर के निबंधन के समय ट्रेलर से कोई पथकर वसूलनीय नही होगा ।

4. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन ।—बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची 1 भाग (ग) का क्रम संख्या-3-क (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-

"(ii) टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर वैट रहित क्रयमूल्य का 7% की दर से 15 वर्षो के लिए एक मुश्त कर उद्गृहीत किया जायगा ।

परन्तु ऐसे वाहनों द्वारा भुगतेय एक मुश्त कर की गणना पहले भुगतान की गई कर की राशि को अनुसूची-1 के अनुसार घटाकर की जायगी ।

5. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 के भाग (ग) के क्रम संख्या-4 में संशोधन ।—बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 भाग (ग) क्रम संख्या-4 का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा :-

1	मालवाहक, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से अन्यथा पैसेन्जर परिवहन वाहन (चालक एवं संवाहक को छोड़कर)-	कर की दर वार्षिक (साधारण बस)	कर की दर वाषक (सेमी डीलक्स)	कर की दर वाषक (डीलक्स)	कर की दर वाषक (वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस)
(क)	13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता।	रू0 500 प्रति सीट	रू0 625 प्रति सीट	रू0 735 प्रति सीट	-
(ख)	27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता ।	रू0 550 प्रति सीट	रू0 700 प्रति सीट	रू0 810 प्रति सीट	-
(ग)	33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता ।	रू0 650 प्रति सीट	रू0 820 प्रति सीट	रू0 975 प्रति सीट	-
(घ)	वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस	-	-	-	रू0 1250

1. कर के लिए किसी बस में एक स्लीपर सीट की गणना दो बैठान सीट के रूप में की जायगी।

2. (क) सभी परिवहन वाहनों के मोटर वाहन कर की गणना, व्हील बेस पर आधारित यात्रियों के लिए बैठान संख्या पर निम्नलिखित तालिका में स्तम्भ 2, 3, 4 में इंगित के अनुसार की जाएगी :-

व्हील बेस	साधारण बस	सेमी डीलक्स बस	डीलक्स बस
1	2	3	4
228	61	49	41
216	55	44	37
210	54	43	36
206	53	42	35
205	53	42	35
203	53	42	35
204	53	42	35
190	48	38	32
180	40	32	27
179	38	30	25
176	37	30	25
167	33	26	22
166	33	26	22
165	33	26	22
163	32	26	21
143	28	22	19
142	25	20	17

(ख) कंपनी द्वारा निर्मित मोटर वाहनों की दशा में, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के अनुसार, प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा अनुमोदित सीटों के आधार पर, कर की गणना की जाएगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के विशेष सचिव।

19 सितम्बर 2014

सं0 एल0जी0-1-11/2014/ 107/लेज: ।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 सितम्बर 2014 को अनुमत बिहार वित्त अधिनियम, 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल क प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के विशेष सचिव।

[Bihar Act 15, 2014]

BIHAR FINANCE ACT, 2014

AN

ACT

TO AMEND BIHAR MOTOR VEHICLE TAXATION ACT, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty fifth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement—(1) This Act may be called the Bihar Finance Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force at once.

2. Amendment of section-5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.—The following proviso shall be added to sub section (7) of section 5 of the said Act, 1994:-

"Provided that if a three wheeler/taxi/motor cab/maxi cab is registered in the name of female as a commercial vehicle and she does not have tax-exemption due to want of valid professional driving licence and has paid full tax, in such case, the said female, after getting proper valid professional driving licence, is entitled to get refund at the rate specified under schedule-1 Part-B of the B.M.V. Taxation Act, 1994 on producing the licence and certificate of this intent.

3. Amendment of section 7 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.—Sub section (8) of section 7 of the said Act shall be substituted by the following :–

"(8) One time tax for the life time of the vehicle shall be levied on tractor at the rate of 4.5% of the cost of the tractor excluding Value Added Tax.

Provided that no road tax shall be levied at the time of registration of trailer of the tractor.

4. Amendment in Schedule-1 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, — Serial no.-3(a)(ii) of Part-C of schedule-1 of the said Act of 1994 Shall be substituted by the following: -

"(ii) One time tax @ 7% of the vehicle cost, excluding VAT, shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for taxi/maxi cab/motor cab.

Provided that one time tax payable by such vehicle shall be calculated after deducting the tax amount as per schedule-1 which is already paid.

5. Amendment in Schedule-1 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.— Serial no. 4 of part-C of schedule-1 of the said Act, 1994 shall be substituted by the following :-

1.	Transport vehicles other than goods carriages, motor cabs and maxi cabs excluding of the driver and conductor.	Annual Rate of Tax (Ordinary Bus)	Annual Rate of Tax (Semi Deluxe)	Annual Rate of Tax (Deluxe)	Annual Rate of Tax (Volvo, Mercedes & Equivalent)
(a)	Seating capacity not less than 13 persons and not more than 26 persons.	Rs. 500 per seat.	Rs. 625 per seat.	Rs. 735 per seat.	-
(b)	Seating capacity not less than 27 persons	Rs. 550 per seat.	Rs. 700 per seat.	Rs. 810 per seat.	-

	and not more than 32 persons				
(c)	Seating capacity 33 persons or more.	Rs. 650 per seat.	Rs. 820 per seat.	Rs. 975 per seat.	-
(d)	Volvo, Mercedez and equivalent buses	-	-	-	Rs. 1250

1. One sleeper seat in a Bus shall be calculated as 2 seats for tax.

2. (a) The Motor Vehicle Tax on all Transport Vehicles shall be calculated on the number of seats for passengers based on wheel base as indicated in colum 2, 3 & 4 in the following table :-

Wheel Base	Ordinary Bus	Semi Deluxe Bus	Deluxe Bus
1	2	3	4
228	61	49	41
216	55	44	37
210	54	43	36
206	53	42	35
205	53	42	35
203	53	42	35
204	53	42	35
190	48	38	32
180	40	32	27
179	38	30	25
176	37	30	25
167	33	26	22
166	33	26	22
165	33	26	22
163	32	26	21
143	28	22	19
142	25	20	17

(b) In case of Motor Vehicles, Manufactured by company, the tax shall be calculated on the basis of approved seats by authorized agencies as per Rule-126 of Central Motor Vehicle Rules-1989.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 769-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in